

बिन्दु सं० -8

उन बोर्डों, परिषदों, सभाओं एवं अन्य निकायों के ब्यौरे, जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जिनका गठन भागीदारी के रूप में यह सलाह देने के लिये किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों एवं निकायों की बैठकें, नागरिकों के लिये सुलभ होगी अथवा ऐसी बैठकों के विवरण तक जन सामान्य की उपलब्धता होगी :-